न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 170/2022

आरसीएमएस नं. 2022/170

सुरेन्द्र पुत्र मनीराम जाति जाट आयु 45 वर्ष निवासी पीलीबंगा गांव पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र पुष्कर राज
2. भगवानाराम पुत्र पुष्कर राज
3. सुभाष चन्द्र पुत्र पुष्कर राज
4. सरोज पत्नी सुभाष

जाति जाट निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।

5. तहसीलदार राजस्व, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

6. रजीराम पुत्री मनीराम
7. भोजराज पुत्र मनीराम
8. राजेन्द्र पुत्र मनीराम
9. भूप सिंह पुत्र मनीराम

जाति जाट निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

—असल रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

दिनांक 05.02.2022 प्रकरण संख्या 63/2021

अनवान धर्मपाल आदि बनाम रजीराम आदि

श्री प्रद्युमन सिह परमार अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशप्रीत सिह संधू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 3

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 03.03.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन किया कि प्रश्नगत चक नं. 5 पीबीएन के खाता 48/325 की कुल 15.144 है0 भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थना–पत्र में वर्णितानुसार हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी की संयुक्त खाता की कृषि भूमि का घरा घरू तौर पर बंटवारा अर्सा दराज से है सिंचाई सुविधा हेतु एक पाईप लाईन चक 26 एसटीजी से प्रार्थीगण की अपने 1/6 हिस्सा की कृषि भूमि में लगभग 13 वर्ष पूर्व आपसी रजामंदी से सिंचाई सुविधा हेतु पाईप नक्के लगाकर पानी अपनी कृषि भूमि में लगाते हैं लेकिन कुछ समय पूर्व अप्रार्थीगण एक राय होकर प्रार्थीगण को नाजायज दबाव डालकर अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि में नक्का लगाना चाहते थे लेकिन प्रार्थीगण द्वारा इसका पूर्ण विरोध करने पर अप्रार्थीगण ने रंजिशवश पाईप लाईन का नक्का नहीं होने के कारण उक्त सांझा खाता की कृषि भूमि का बिना विधिवत विभजान करवाये ही प. नं. 48/326 के किला नं. 21 में से उपजाउ मिट्टी 10 फुट तक उठाकर भू माफियाओं को विक्रय की जा रही है और पाईप लाईन को खुर्द बुर्द एवं क्षति पहुंचा रहे है। यदि अप्रार्थीगण अपने इन मनसूबों में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति होगी इसलिए प्रश्नगत चक 5 पीबीएन के प. नं. 48/325 के किला नं. 9, 11, ,12, 19 ता 22 के बट पर चल रही पाईप लाईन की स्वीकृति प्रदान करें। अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों से इंकार करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किय। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कतई गलत, विधि विरूद्ध व दस्तावेजी साक्ष्यों के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी के है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में स्पष्ट तौर पर यह कथन अंकित किए है कि प्रार्थीगण व मिन अप्रार्थीगण के मध्य प्रश्नगत लाईन व नक्के के सम्बन्ध में घराघरू राजीनामा हुआ था कि अप्रार्थीगण द्वारा भी अपनी चक 5 पीबीएन के प. नं. 47/325, 48/328, 48/326 में वर्णित कृषि भूमि की सिंचाई चक 26 एटीजीके प. नं. 45/321 के किला नं. 5 में संयुक्त आय से ट्यूबवैल लगाकर करेंगे लेकिन प्रार्थीगण द्वारा अपने लालच के वशीभूत होकर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 6 ता 9 की सिंचाई सुविधा बाधित करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर चक 26 एसटीजी में लगे टयूबवैल के सम्बन्ध में निर्णय पारित किया गया जिससे अपीलार्थी व रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ता 9 की सिंचाई सुविधा बाधित हो गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं मौका मुआयना किये जाने के कथन निर्णय में अंकित किये हैं जसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित है कि मौका मुआयना के समय अपीलार्थी व रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ता 9 ने यह स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण व सुरेन्द्रपाल द्वारा संयुक्त रूप से पाईप लाईन अपने खेत में लेकर आये थे कतई गलत अंकित किये हैं। ऐसे कथन अपीलार्थी व अन्य द्वारा मौका पर नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने रूप से प्रार्थीगण को लाभ पहुंचाने की गर्ज से यह कथन अंकित किये हैं, जो धारा 251–क के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं होने के निरस्ती योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत चक नं. 5 पीबीएन के खाता 48/325 की कुल 15.144 है0 भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थना–पत्र में वर्णितानुसार हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी की संयुक्त खाता की कृषि भूमि का घरा घरू तौर पर बंटवारा अर्सा दराज से है सिंचाई सुविधा हेतु एक पाईप लाईन चक 26 एसटीजी से प्रार्थीगण की अपने 1/6 हिस्सा की कृषि भूमि में लगभग 13 वर्ष पूर्व आपसी रजामंदी से सिंचाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

सुविधा हेतु पाईप नक्के लगाकर पानी अपनी कृषि भूमि में लगाते हैं लेकिन कुछ समय पूर्व अप्रार्थीगण एक राय होकर प्रार्थीगण को नाजायज दबाव डालकर अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि में नक्का लगाना चाहते थे लेकिन प्रार्थीगण द्वारा इसका पूर्ण विरोध करने पर अप्रार्थीगण ने रंजिशवश पाईप लाईन का नक्का नहीं होने के कारण उक्त सांझा खाता की कृषि भूमि का बिना विधिवत विभजान करवाये ही प. नं. 48/326 के किला नं. 21 से से उपजाउ मिट्टी 10 फुट तक उठाकर भू माफियाओं को विक्रय की जा रही है और पाईप लाईन को खुर्द बुर्द एवं क्षति पहुंचा रहे है। यदि अप्रार्थीगण अपने इन मनसूबों में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति हेागी इसलिए प्रश्नगत चक 5 पीबीएन के प. नं. 48/325 के किला नं. 9, 11, ,12, 19 ता 22 के बट पर चल रही पाईप लाईन की स्वीकृति प्रदान की गई है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा स्वयं मौका मुआयना किये जाने के कथन निर्णय में अंकित किये है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित किया गया है कि मौका मुआयना के समय अपीलार्थी व रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ता 9 ने यह स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण व सुरेन्द्रपाल द्वारा संयुक्त रूप से अपने खर्चे से पाईप लाईन अपने खेत में लेकर आये थे। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 21.04.2022 के अनुसार मौका पर प. नं. 48/325 के किला नं. 21 में डिग्गी की खुदाई करते समय पाईप लाईन टूट गई थी जो मौका पर एक जगह से ही क्षतिग्रस्त है। अपीलार्थीगण द्वारा मौका मुआयना के समय स्वीकार किया गया कि प्रार्थीगण व सुरेन्द्रपाल द्वारा संयुक्त रूप से एवं अपने खर्चा से ही पाईप लाईन अपने खेत में लेकर आये थे और प्रार्थीगण व सुरेन्द्रपाल के कब्जा काश्त की भूमि पाईप लाईन के नक्के हैं और अप्रार्थीगण को सुरेन्द्रपाल द्वारा आवश्यकता होने पर पानी दिया जाता है। अप्रार्थीगण का पाईप लाईन में कोई हक व हिस्सा नहीं है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए स्वीकार किया है जो विधि सम्मत है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2022 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.3.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/3/23

([illegible])
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner